

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-12/2016/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2016

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।
संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 107/54.04/27/न0नि0म0/16, दिनांक 24.09.2016.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 54 वीं बैठक दिनांक 23.09.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना हेतु राशि ₹ 130.43 करोड़ (₹ एक सौ तीस करोड़ तैतालिस लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/- उक्त व्यय लेखाशीर्ष 48/4700-45-800-9091-64-0701 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(लक्ष्मीकान्त दिववेदी)

उप सचिव

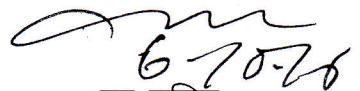
मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 31-12/2016/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. सदस्य (अभियांत्रिकी)/(वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
8. मुख्य अभियन्ता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इंदौर ।
9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
11. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग